नियम 153 : भागीदारी में हित की कुर्की

(1) जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति में, व्यतिक्रमी का किसी भागीदारी में एक भागीदार होने पर एक हित सम्मलित है, वहां उचित अधिकारी प्रमाणपत्र के अधीन, शोध्य राशि के ऐसे संदाय के साथ भागीदारी सम्पत्ति में ऐसे भागीदार के हिस्से और लाभों को प्रभारित करते हुए एक आदेश कर सकेगा और उसी या पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा ऐसे लाभों जो पहले से घोषित हों या प्रोद्भूत हुए हैं और ऐसे अन्य धन जो उसे भागीदारी के सम्बन्ध में उस पर शोध्य हो गए हों में ऐसे भागीदार के हिस्से के सम्बन्ध में रिसीवर नियुक्त कर सकेगा, लेखा ओर जांच के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसे हित के विक्रय के लिए आदेश कर सकेगा या ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में अपेक्षा हो।

(2) अन्य भागीदारों को किसी भी समय, प्रभारित हित का मोचन करने या विक्रय का निदेश किए जाने की दशा में, उसका क्रय करने की स्वतंत्रता होगी।